20 (10) आचरण, अनुशासन व अपील नियमावली और मानक आदेशों में विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय संबद्ध संशोधन संबंधी निदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाका व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (जे टी 1997 (7) एस सी 384), के मामले में कार्यरत महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जो दिशा–निर्देश और मानदंड दिए हैं उनका पालन किया जाना चाहिए।

2. उपर्युक्त निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि नियोक्ता या अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य है कि कार्यस्थल पर या अन्य संस्थानों में यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकें या उनका निवारण करें। और यौन उत्पीड़न कृत्यों के लिए सभी आवश्यक उपाय करते हुए संकल्प, निपटान या अभियोजन संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान करें। इस प्रयोजन के लिए, यौन उत्पीड़न में ऐसे अवांछित यौन व्यवहार (वह चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो या उसका ऐसा आशय हो) की अवधारणा भी शामिल है।

(क) शारीरिक स्पर्श और उससे अधिक बेजा हरकतें करना।

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या अनुरोध करना।

(ग) अश्लील फब्तियां कसना।

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना।

(ड.) यौन संबंधी अन्य प्रकार की अशोभनीय शारीरिक या मौखिक हरकत करना या इशारे आदि करना।

3. महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न का कोई भी कृत्य निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय कार्य है तथा इसे कदाचार माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध नियमों के अनुसार उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

4. जहां भारतीय दंड संहिता या अन्य किसी कानून के अंतर्गत ऐसे व्यवहार को विशेष अपराध माना जाता है, वहां सबद्ध प्राधिकारी उपयुक्त प्राधिकारी को शिकायत कर कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

5. विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई करते समय पीड़ित या गवाह को उत्पीड़ित न किया जाए या उसके साथ भेद–भाव न बरता जाए। यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति के पास अपराधकर्त्ता की बदली या स्वयं की बदली का विकल्प होगा।

6. शिकायत तंत्र – चाहे ऐसा आचरण कानून के अंदर अपराध या सेवा नियमावली भंग करना बनता हो अथवा नहीं किंतु प्रत्येक संगठन में पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत को दूर करने के लिए एक उपयुक्त शिकायत तंत्र बनाया जाना चाहिए। ऐसे शिकायत तंत्र में शिकायतों को दूर करने के लिए समयबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जहां कहीं शिकायत को दूर करने के लिए पहले से व्यवस्था हो तो उन्हें और अधिक कारगर बनाया जाए और बेहतर होगा कि ऐसी शिकायतों का निपटान खास तौर पर महिला अधिकारी ही करें।

7. जागरूकताः इस संबंध में विशेष तौर पर उपयुक्त तरीके से दिशा निर्देश (प्रति संलग्न) अधिसूचित करते हुए महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए।

8. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सा.क्षे. के उपक्रमों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों की आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली में आवश्यक संशोधन करने के निदेश दें। डी ओ पी टी द्वारा जारी संशोधित सी सी एम (आचरण) नियमावली, 1964 की अधिसूचना की प्रति दिशा–निर्देश के लिए संलग्न है।

(डी पी ई का तारीख 29 मई, 1998 का का.ज्ञा. सं. डी पी ई/15/4/98 (जी एल –004)/जी एम)